Uttarakhand
Simply Heaven!

# Uttarakhand Tourism Development Board

Department of Tourism, Government Of Uttarakhand

## Certificate of Registration

**This is to certify that**

**YATRA JOURNEY**

Owner Partner(s) Name: **RAVI SHARMA**

Address: **Building no .58, Danda Dharampur, Post Office Nehrugram, Dehradun, Dehradun**

has been registered as per **Uttarakhand Tourism and Travel Trade Registration Rules-2014 (Amendment 2016)** under the category **Travel Agent**

**Certificate Number** UTTR/DEHRADUN/06-2026/914276

**Issued Date** 08-06-2026

26-6-26

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय
देहरादून

**District Tourism Development Officer(DEHRADUN)**

Uttarakhand Tourism Developement Board

*** The Authenticity of the certificate may be verified on**

www.uttarakhandtourism.gov.in

Pt.Deendayal Upadhaya Paryatan Bhawan Near ONGC Helipad,Garhi Cantt Dehradun-248001(Uttarakhand)

**उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन–2016) योजना के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र**

**प0सं0-374/उ0प0या0व्य0पं0/पर्य0दे0/2026–27** **देहरादूनःदिनांकः–08 जून 2026**

एतद्द्वारा शासनादेश/अधिसूचना संख्या–161/VI/2013-01(07)/2013 दिनांक 24 जनवरी, 2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–160/VI/2016-01(07)/2013(418) दिनांक 16 फरवरी, 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधन–2016) के अन्तर्गत निहित शर्तों व नियम के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार इकाई **YATRA JOURNEY** पता– बिल्डिंग नं0 58, डांडा धर्मपुर, पो0ओ0–नेहरुग्राम, जनपद–देहरादून को **Travel Agent** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाण निर्गत किया जाता हैः–

1) इकाई का नाम – **YATRA JOURNEY**
2) पंजीयन संख्या – **UTTR/DEHRADUN/06-2026/914276**
3) स्वामी/निदेशक/पार्टनर का नाम – **Mr. RAVI SHARMA**
4) दूरभाष/मो0नं0 – 9119002106

**नियम व शर्तें:–**

I इकाई में पर्यटन एंव यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य है, जिसमें पर्यटको के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन/फैक्स, कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा व जनसुविधायें आदि विद्यमान होनी आवश्यक हैं।

II पर्यटन इकाई ऑपरेटर के पास सम्बन्धित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरण होना अनिवार्य है।

III पर्यटन इकाई ऑपरेटर के पास सम्बन्धित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी/कुशल कार्मिक कार्यरत होने आवश्यक हैं।

IV पंजीकृत की गयी इकाई हेतु अधिकृत किये गये व्यवसाय की शर्तों से भिन्न व्यवसाय नही किया जायेगा।

V पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हे पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाय कि सूचना/दरों को स्पष्ट व बडे अक्षरों में स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में उचित स्थान पर पर्यटकों की सुविधा हेतु अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।

VI पर्यटन इकाई ऑपरेटर को अपने कार्यालय के स्वागत कक्ष/कार्यालय कक्ष में एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी।

VII पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो के अनुरुप उत्तराखण्ड के निवासियों को अपनी फर्म में रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VIII प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को देशी–विदेशी, गाइड/वरिष्ठ गाइड/प्रशिक्षक/कुशल तकनीकी कर्मियों का विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करना होगा। पर्यटन इकाई ऑपरेटर नेपाली/विदेशी कार्मिको की गतिविविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए एक लिखित अन्डरटेकिंग स्थानीय पुलिस स्टेशन को उपलब्ध करानी होगी।

IX कोई पर्यटन इकाई ऑपरेटर निर्धारित दरों से अधिक रकम किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी वसूल नही करेगा।

X पर्यटन इकाई ऑपरेटर सेवा प्राप्त करने वाले (यथा स्थिति अनुसार) व्यक्ति/पर्यटक/ग्राहकों को ब्यौरेवार देयक (बिल) प्रस्तुत करेगा तथा प्राप्त की गयी धनराशि की मूल रसीद देगा, जिसकी द्वितीय प्रति अपने पास रसीद बुक में सुरक्षित रखेगा।

XI प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरंत त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशन एवं पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

XII प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को आवंटित पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष पर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थापन पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

XIII प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई ऑपरेटर का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक पर्यटक/कर्मचारी/देशी–विदेशी गाइड/प्रशिक्षक/कुली/कुशल तकनीकी कर्मियों का अनिवार्य रुप से बीमा करायेगा।

XIV इकाई में ऐंसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही की जायेंगी, जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

XV इकाई के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XVI इकाई के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता एवं प्रदूषण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

XVII पंजीकृत इकाई के संचालन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय–समय पर जारी होने वाली शर्तें व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

XVIII नियमावली के उपबन्धो का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी पर्यटन इकाई के ऑपरेटर की सहमति से उसकी इकाई का निरीक्षण कर सकेगा और समस्त अभिलेख, रजिस्टरों और अन्य कैश/बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।

XIX उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के फलस्वरूप निर्गत किये जा रहे इस प्रमाण पत्र को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी मा0 न्यायालय आदि में अपने किसी भी स्वामित्व/लीज डीड/मानचित्र स्वीकृति आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा।

XX सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/इकाई द्वारा किराया/लीज अवधि समाप्ति के पश्चात किरायेदारी/लीज पुनः बढायी जानी अनिवार्य होगी, तथा कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर वैध अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तद्सम्बन्धी कार्यवाही न किये जाने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विहित प्राधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी को होगा।

**संलग्नकः– पंजीकरण प्रमाण पत्र।**

8-6-26

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय
देहरादून

**पृ0प0सं0– (1)/2026 समदिनांकित।**
**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।**
01:–जिलाधिकारी, देहरादून।
02:–उपजिलाधिकारी, देहरादून।
03:–प्रभारी, स्थानीय अभिसूचना इकाई, देहरादून।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।